न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 808–तीन/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–04–2011 पारित द्वारा सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर, प्रकरण कमांक अपील 1741–दो/2010

.....

1–तमरलाल पुत्र श्री शिवनाथसिंह राजपूत
निवासी ग्राम बमूरिया, तहसील राधौगढ़ जिला गुना म0प्र0
2–कल्याण सिंह पुत्र श्री हरिकिशन किरार,
सरपंच ग्राम पंचायत भुलाय तहसील राधौगढ जिला गुना
3–समरजीत सिंह पुत्र श्री राजेन्दसिंह राजपूत राधौगढ जिला गुना

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–नारायण आचार्य पुत्र जेठमल जी आचार्य
ग्राम सदर बाजार तहसील व जिला गुना म0प्र0
2– मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला गुना म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री एस0पी0धाकड़, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1
श्री बी0एन0त्यागी, पेनल अभिभाषक– अनावेदक कमांक 2

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 15/6/16 को पारित)

यह पुनर्विलोकन आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 51 के अंतर्गत सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–04–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा कलेक्टर जिला गुना के समक्ष उसके निजी स्वामित्व की ग्राम मोड़का तहसील व जिला गुना स्थित

भूमि सर्वे कमांक 1/8/1/1 रकबा 5.383 हेक्टेयर भूमि से शासकीय भूमि ग्राम बमूरिया स्थित सर्वे कमांक 128 रकबा 15.805 हेक्टेयर में से 5.383 हेक्टेयर के विनिमय हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 2/अ–19/1990–91 दर्ज कर दिनांक 20–11–1990 को आदेश पारित किया जाकर उपरोक्त विनिमय स्वीकार किया गया । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 20–7–1992 को आदेश पारित कर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः विधिवत् आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 20–7–92 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29–4–1998 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई। कलेक्टर जिला गुना को प्रकरण वापिस प्राप्त होने पर कलेक्टर जिला गुना द्वारा दिनांक 13–11–2006 को आदेश पारित कर पूर्व आदेश दिनांक 20–11–90 को यथावत् रखा गया । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 22–11–2010 को आदेश पारित कर अपील समाप्त की गई । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई और इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25–4–2011 को आदेश पारित कर निगरानी समाप्त की गई । इस न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा है । यह भी कहा गया कि शासकीय भूमि के विनिमय से जनसाधारण के हित प्रभावित होते हैं, अतः व्यक्ति विशेष के लाभ के लिये भूमि का विनिमय नहीं किया जा सकता है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमियों के विनिमय के संबंध में ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव नहीं है और 3/4 ग्रामवासियों की सहमति पर ही विनिमय किया जा सकता है । यह भीतर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि कलेक्टर जिला गुना द्वारा संहिता की धारा 234 एवं 237 के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया है, इसलिये इस न्यायालय को

सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय द्वारा बिना अभिलेख बुलाये निगरानी निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है । तर्क के समर्थन में 1979 आरएन 208 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि पुनर्विलोकन में प्रकरण के गुणदोष पर विचार नहीं किया जा सकता है । यह भी कहा गया कि चूँकि राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत विनिमय स्वीकार किया गया है, इसलिये इस न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि नहीं बतलाई गई है ।

5/ अनावेदक कमांक 2 शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर जिला गुना द्वारा शासकीय भूमि से निजी भूमि का विनिमय करने में अवैधानिकता की गई है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस न्यायालय द्वारा मुख्यतः इस आधार पर प्रकरण समाप्त किया गया है कि राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत प्रचलित प्रकरण को सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत पारित आदेशों के विरूद्ध सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व मण्डल को प्राप्त है, अतः इस न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर निगरानी निरस्त करने में अभिलेख से परिलक्षित प्रथमदृष्टया त्रुटि की गई है इसलिये इस न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । जहॉ तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, अपर आयुक्त द्वारा भी प्रकरण इस आधार पर समाप्त किया गया है कि चूँकि मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के पत्र कमांक एफ 16–78/2009/सात/2ए भोपाल दिनांक 15–1–2010 के द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र की कंडिका 20 के अन्तर्गत भूमि विनिमय की शक्तियॉ कलेक्टर से प्रत्याहरित की जा चुकी है और यह शक्तियॉ शासन में वैष्ठित है, इस कारण आयुक्त/अपर आयुक्त को अपील सुनने की शक्तियॉ प्राप्त नहीं है । जबकि राज्य शासन द्वारा आयुक्त/अपर आयुक्त की

राजस्व पुस्तक परिपत्र में पारित आदेशों के विरूद्ध अभ्यावेदन सुनने की शक्तियॉ समाप्त नहीं की गई है, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश भी अवैधानिक एवं अनियमित होने से निरस्त किये जाने योग्य है । जहॉ तक कलेक्टर जिला गुना के आदेश का प्रश्न है, जिस समय कलेक्टर द्वारा विनिमय का आदेश पारित किया गया है, उस समय कलेक्टर जिला गुना को विनिमय की शक्तियॉ प्राप्त थी । अतः इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि अपर आयुक्त द्वारा आदेश दिनांक 22–11–2010 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वह उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुये विधिवत् प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण करें ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–11–2010 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करने हेतु अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर